



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

Corporate Identification Number (CIN)-U40109RJ2000SGC016482

विद्युत भवन, पंचशील नगर पॉवर हाउस, माकडवाली रोड अजमेर

Fax/Ph No.-0145-2644543/2644552 E-mail:-seplanavvn2018@gmail.com website:- www.avvnl.com

क्र. अविनिनिलि/अधी.अभि.(यो)/अधि.अभि.(योजना)/सहा.अभि. (आर.ई.)/अज/ फा. आर.ई. /2018-19/प्रे. दि 17.09-2018
1767

आदेश

विषय:-कृषि कनेक्शन हेतु तीन वर्ष की अधिभावी (Overriding) प्राथमिकता देने व कनेक्शन जारी करने के संबंध में।

कृषि कनेक्शन नीति-2017 के बिन्दु संख्या 7.1.3 "तीन वर्ष की अधिभावी (Overriding) प्राथमिकता" में सामान्य योजना के अन्तर्गत इस अनुच्छेद में वर्णित आवेदकों को तीन वर्ष की अधिभावी (Overriding) प्राथमिकता का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। इस क्रम में निगम से जारी कृषि नीति-2017 दिनांक 25.08.2017 द्वारा उपरोक्त बिन्दु संख्या 7.1.3 में निहित प्रावधानों को पुनः स्थापित करते हुये यह प्रावधान किया गया कि सामान्य योजना के अन्तर्गत अधिभावी प्राथमिकता का लाभ इस अनुच्छेद में वर्णित आवेदकों को एक बार एक ही कनेक्शन पर देय होगा।

किसान संगठनों द्वारा यह जानकारी में लाया गया है कि सामान्य श्रेणी के अधिभावी प्राथमिकता पात्र आवेदकों के कृषि नीति-2017 दिनांक 25.08.2017 के अनुसार प्रसारित होने से जमा व जारी मांग पत्रों के कृषि कनेक्शन जारी करने के संबंध में क्षेत्राधिकारियों में संशय है अतः इस संबंध में निर्णय लेकर यह स्पष्ट किया जाता है कि:-

1. जिन आवेदकों के एक से अधिक कनेक्शन हेतु मांग पत्र जमा है उन्हें कृषि कनेक्शन नीति-2017 के बिन्दु संख्या 7.1.3 में निहित प्रावधानों के अनुरूप कृषि कनेक्शन में तीन वर्ष की अधिभावी (Overriding) प्राथमिकता का लाभ देय होगा।
2. ऐसे आवेदक जिनके एक से अधिक मांग पत्र जमा किये गये हैं उन्हें निगम से जारी कृषि नीति-2017 दिनांक 25.08.2017 के अनुसार कृषि कनेक्शन हेतु तीन वर्ष की अधिभावी (Overriding) प्राथमिकता का लाभ एक बार एक ही कनेक्शन पर देय होगा व अतिरिक्त कनेक्शन हेतु जमा मांग पत्र निरस्त कर राशि लौटाई जावे।
3. ऐसे आवेदक जिनके एक से अधिक कनेक्शन हेतु मांग पत्र जारी किये गये हैं लेकिन आज तक जमा नहीं हुए हैं उनके एक से अधिक कनेक्शन हेतु जारी मांग पत्रों को तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावे।
4. एक से अधिक कनेक्शन हेतु जमा व जारी मांग पत्रों में से एक कनेक्शन आवेदक की मांग के विकल्प के आधार पर देय होगा।

(ई. वी.पी. सिंह)

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अविनिनिलि, अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
- 2 सलाहकार (मानिटिंग), माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान- सरकार, जयपुर।
- 3 अध्यक्ष डिस्कॉम जयपुर।
- 4 प्रबंध निदेशक, जयपुर / जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर/जोधपुर।
- 5 अति/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय/एम.एम. /ट्रेनिंग एव सुरक्षा सीएसएस/पवस) अवि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/शुन्डुनु।
- 6 मुख्य लेखाधिकारी (ए.एण्डआर/ई बी टी./ आई ए-डब्ल्यू. एण्ड एम.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 7 सचिव (प्रशासन), अवि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 8 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अवि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 9 अधीक्षण अभियन्ता (एम.एम./टी.डबल्यू/एम.एण्डपी/वाणिज्य/डी.डी.यू.जी.जे.वाय./सतर्कता), अविनिनिलि अजमेर।
- 10 अधीक्षण अभियन्ता (आई टी), अवि.वि.नि.लि., अजमेर, निगम वेबपोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
- 11 अधीक्षण अभियन्ता (पवस)/ ए.सी.सी./ ए.डी.सी./ भीलवाड़ा/ नागौर/ शुन्डुनु/ सीकर/ बांसवाड़ा/ झुगरपुर/ धितौडगढ़ / प्रतापगढ़/ राजसमन्द/ उदयपुर।
- 12 कम्पनी सचिव, अवि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 13 प्रादेशिक सहायक-माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
- 14 प्रादेशिक-सहायक, प्रबंध निदेशक अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 15 प्रादेशिक-सहायक, निदेशक (तकनीकी), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 16 अधिशाषी अभियन्ता (प्रिवेन्सेज/लौगल), अविनिनिलि, अजमेर
- 17 अधिशाषी अभियन्ता (.....) अविनिनिलि.....
- 18 सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), अवि.वि.नि.लि., अजमेर, समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु।
- 19 सहायक लेखाधिकारी (नियम), अवि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 20 निजी सचिव, निदेशक (वित्त), अविनिनिलि, अजमेर
- 21 प्रबन्धक, टी.पी.ए.डी.एल, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क (अजमेर सिटी) वैशाली नगर, अजमेर।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)